

न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद।

मुकदमा अन्तिम रिपोर्ट संख्या 231 / 2022

अरविन्द कुमार राय बनाम रितेश विद्यार्थी आदि

13.08.2022—

पत्रावली पेश हुयी।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा रितेश आदि के विरुद्ध उसने थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराया था। प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी है। राज्य उ०प्र० के द्वारा लाकडाउन के उल्लंघन से सम्बन्धित मुकदमों को वापस भी ले लिया गया है। वादी मुकदमा उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः अपराध संख्या 759 / 2020 धारा 188, 269, 270 भा०द०सं० व धारा 3(1) महामारी अधिनियम थाना कर्नलगंज इलाहाबाद के मामले में प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
इलाहाबाद।